

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:..... नि०/रोजगार ऋण-03-31/18

पटना दिनांक:

संशोधित स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 के तहत कैमूर जिला के स्वीकृत्यादेश संख्या-185 दिनांक-18.01.2022 पर अंकित क्लॉथ शॉप ट्रेड के लिए ₹ 1,00,000/- ऋण की स्वीकृति दी गई थी। ऋणार्थी के द्वारा आवेदन में बताया गया है कि बैंक में KYC नहीं होने के कारण बैंक खाता बंद रहने से राशि खाते में अंतरित नहीं हो सका। ऋणार्थी के द्वारा पुनः KYC कराने के बाद बैंक खाते को चालू करा लिया गया है, पासबुक की छायाप्रति जमा की गई है, जिसमें बैंक अकाउंट नम्बर के साथ आई०एफ०एस०सी मौजूद है। अतएव पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है।

Sl. No	चयन सूची क्रम	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing + Imbos Charge	Net Payable Amount
1.	28/59	SAMSE ALAM ANSARI, S/o-MUKHTAR ANSARI, Vill. + PO-SONHAN, Block-BHABUA, PS-SONHAN, Distt.-KAIMUR - 821101, Mob:- 8228907673	A/c No.:- 603002010011418, UBIN0560308	CLOTH SHOP	100000	500 + 2030 = 2530	97470
TOTAL					1,00,000	2,530	97,470

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ज्ञापांक:- 2230

प्रतिलिपि:- ऋणधारक/ ऋण शाखा/ ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/ लेखा शाखा/ प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को

सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस/ई-मेल भेजने हेतु सूची प्रेषित।

ह०/-
प्रबंध निदेशक
दिनांक:- 05-7-2022

प्रबंध निदेशक